



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 709]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 5, 2018/ आश्विन 13, 1940

No. 709]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 5, 2018/ASVINA 13, 1940

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2018

**सा. का .नि. 997(अ).**— केंद्रीय सरकार द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 4, 5, 14, 21, 22 और धारा 29 की उप धारा (2) और (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके पेट्रोलियम नियम, 2002, में आगे संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित मसौदा इससे प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है जो उक्त अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (4) द्वारा अपेक्षित है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदे पर उस तारीख, जिससे मसौदा नियमों को शामिल करते हुए भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवाई जाएंगी, से 45 दिनों की अवधि समाप्त होने पर अथवा उसके बाद विचार किया जाएगा;

उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आपत्तियां और सुझावों, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (विपणन), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली-110001 को अथवा [jsm.png@nic.in](mailto:jsm.png@nic.in) पर ई-मेल द्वारा भेजे जा सकते हैं।

## मसौदा नियम

1. इन नियमों को पेट्रोलियम (संशोधन) नियम, 2018 कहा जाएगा।

2. पेट्रोलियम नियम, 2002 में—

(1) दूसरी अनुसूची, फॉर्म VIII में

(क) भाग क में

(i) क्रम सं. 4 पर 'स्थान' शब्द को 'स्थानों' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम सं. 5 पर 'संस्थापना' शब्द को 'संस्थापनाओं' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (iii) क्रम सं. 5 पर 'सर्विस स्टेशन के मामले में' शब्दों को 'सर्विस स्टेशनों के मामले में' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 6 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"6. प्रयोक्ता के पत्र-व्यवहार और/अथवा प्रचालन क्षेत्र के पूरे पते के साथ साथ इलाका, तालुका, जिला, राज्य और उस स्थान का ब्यौरा दिया जाए जहां से समान्यतः वाहन द्वारा स्टेशनरी उपस्कर, भारी वाहनों/मशीनों, वायुयान की स्थल पर ही भराई के प्रयोजन से ए/बी श्रेणी के पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन किया जाएगा";

(ख) भाग II में -

- (i) क्रम संख्या 4 में "स्थल योजना" शब्दों के बाद "/विशिष्ट विन्यास" शब्दों को शामिल किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 5 में, "सूची" शब्द के बाद "प्रकार" शब्द शामिल किया जाएगा;
- (iii) मद संख्या 6 के बाद, निम्नलिखित मद को **शामिल** किया जाएगा, नामतः

"7. रिफ्यूलर को भरने और खाली करने के लिए मानक प्राचलन प्रक्रियाएं";

(2) फार्म IX में, टिप्पणियों के पश्चात मद संख्या (vi) के बाद "फार्म XIV, XV, XVI अथवा विशिष्ट फार्मों में लाइसेंस के लिए इस आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज" शीर्षक के तहत प्रविष्टियों में निम्नलिखित मद को **शामिल** किया जाएगा, नामतः -

"(vii) यदि रिफ्यूलर खड़ा करने के लिए लाइसेंसशुदा परिसरों का इस्तेमाल किया जाता है, तो स्थल विन्यास योजना के चार सेट प्रस्तुत किए जाएं जिनमें परिसर के अंतर्गत उस प्रस्तावित क्षेत्र का उल्लेख किया जाए जहां रिफ्यूलर को खड़ा किया जाएगा।";

(3) फार्म XIX में-

(क) क्रम संख्या 1 में विवरण के तहत, "में लाइसेंसशुदा" शब्दों के बाद, "फार्म XIV/" शब्द शामिल किया जाएगा;

"(ख) क्रम संख्या 2 में विवरण के तहत, "और" शब्द के बाद, "प्रकार के" शब्द शामिल किया जाएगा;

(ग) शर्त 6 के लिए, निम्नलिखित शर्त से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"6. लाइसेंसशुदा वाहन को विशेष फार्म लाइसेंसशुदा भंडारण परिसरों अथवा टैंक लॉरी लोडिंग सुविधाओं वाले फार्म XV अथवा फार्म XIV में लाइसेंसशुदा परिसरों में लोड किया जाएगा। यदि वाहन पेट्रोलियम श्रेणी बी के लिए लाइसेंसशुदा है तो उसे फार्म XIV में लाइसेंसशुदा सर्विस स्टेशन से जुड़े विशेष रूप से तैयार किए गए क्षेत्र में लोड किया जा सकता है। इस क्षेत्र में मजबूत पाइपलाइन होगी जो सर्विस स्टेशन में मौजूद भूमिगत टैंक से डेलिवरी पंप और वाहन पार्किंग क्षेत्र से जुड़ी होगी और इसे संरक्षित क्षेत्र से कुल 1.2 मी और 1.8 मीटर ऊंची ईट की दीवार की एक चेन लिंक फेंसिंग वाली 60 सें.मी. ईट वाली दीवार बनाकर सर्विस स्टेशन में मौजूद सुविधाओं से अलग किया जाएगा। फेंसिंग से पार्किंग स्थल और भरण स्थल की दूरी चारों तरफ से कम से कम 4.5 मीटर होनी चाहिए। इस प्रकार के परिसरों का आकार कम से कम 10

मीटर X 10 मीटर का होगा। लाइसेंसधारी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सर्विस स्टेशन में विशेष रूप से तैयार किए गए क्षेत्र में रिफ्यूलर/रिफ्यूलरों को पार्किंग की अनुमति होगी।

(घ) शर्त 12 को निम्नलिखित शर्त से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

“12. भारी वाहनों/मशीनरी और स्टेशनरी उपस्करों, जैसा भी मामला हो के टैंकों में ईंधन भरने के दौरान वाहन क्रमशः **पेट्रोलियम श्रेणी क और पेट्रोलियम श्रेणी ख के लिए किसी भी संरक्षित क्षेत्र से कम से कम 9 मीटर तथा 6 मीटर** की दूरी पर होंगे **बशर्ते वायुयानों के टैंकों में ईंधन भरते समय वाहन किसी भी संरक्षित क्षेत्र से कम से कम 9 मीटर की दूरी पर होंगे।** ईंधन भरने के दौरान अनधिकृत व्यक्ति को इस सुरक्षा जोन के भीतर जाने की अनुमति नहीं होगी। वायु यान, भारी वाहनों/ मशीनरियों तथा स्टेशनरी उपस्करों के टैंकों में ईंधन भरने के परिसर के निकट धूम्रपान निषेध का बोर्ड स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में प्रदर्शित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति धूम्रपान नहीं करेगा अथवा माचिस, आग, लाइट्स, ऐसी वस्तुएं अथवा पदार्थ नहीं लाएगा जिससे ईंधन भरने के स्थल या उसके आसपास आग लग सकती हो।  
बशर्ते,

क. ईंधन भरते समय पेट्रोलियम श्रेणी ख के लिए 3000 लीटर तक की लाइसेंसशुदा क्षमता के रिफ्यूलर किसी संरक्षित क्षेत्र से कम से कम 4.5 मीटर की दूरी पर होंगे। **बैरिकेड लगाकर इस क्षेत्र की घेराबंदी की जाएगी।**

ख. ईंधन भरने का प्वाइंट 3 मीटर हारिजेंटल दूरी और 1.2 मीटर वर्टिकल दूरी पर होगा।

ग. ईंधन भरते समय वाहन ड्राइव आउट की स्थिति में होगा।

घ. साउंड और इलैक्ट्रिकली होज की लंबाई 10 मीटर से अधिक नहीं होगी।

(ड.) शर्त 13 (ख) में, “यथा स्थिति” शब्दों के बाद “अर्थीग व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी” शामिल किया जाएगा;

(च) शर्त 14 के लिए, निम्नलिखित शर्त प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः-

“14क. पेट्रोलियम उत्पादों को केवल पंप के माध्यम से खाली किया जाएगा, अर्थात् वाहन के ऊपर लगे मोटर उपकरण।

ख. पेट्रोलियम उत्पादों का किसी नाले/सीवर अथवा सार्वजनिक मार्ग पर बहने से रोकने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा।

ग. पेट्रोलियम उत्पादों को ऐसे उपकरणों में नहीं भरा जाएगा जब वह प्रचालनरत हों।

घ. किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्थल विशिष्ट आपात योजना तैयार की जाएगी और इस आपात योजना की प्रति जिला प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

ड. **मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा यथा अनुमोदित मानक प्रचालन प्रक्रियाओं** (एसओपी) का सख्ती से पालन किया जाएगा।

(छ) शर्त 21 के लिए, निम्नलिखित शर्त प्रतिस्थापित की जाएगी, नामतः-

“21. लाइसेंसशुदा वाहन की ऐसी दुर्घटना होने, आग लगने अथवा विस्फोट होने की स्थिति में, जिसमें किसी की इंसानी जिंदगी का नुकसान होता है अथवा किसी व्यक्ति को गंभीर चोट लगती है अथवा संपत्ति का नुकसान होता है

तो उसकी सूचना तत्काल निकटतम मजिस्ट्रेट अथवा क्षेत्राधिकार के निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी इंचार्ज को सूचना देनी होगी और **मुख्य नियंत्रक को इसकी सूचना टेलीफोन/फैक्स/ई-मेल** से देनी होगी।

[फ़ा. सं.पी-11021/01/2018-वितरण]

आशुतोष जिंदल, संयुक्त सचिव (एम)

**टिप्पण-** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 204(अ.), तारीख 13 मार्च, 2002, सं. सा.का.नि. 857(अ.), तारीख 1 दिसम्बर, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 762 (अ.), तारीख 10 अगस्त, 2018 द्वारा किया गया था।

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2018

**G.S.R 997(E).**—The following draft of certain rules further to amend the Petroleum Rules, 2002 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 4,5, 14,21, 22 and sub-sections (2) and (3) of section 29 of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934), is hereby published as required by sub-section (4) of section 29 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing the draft rules are made available to the public;

Objections and suggestions which may be received from any person within the period specified above will be considered by the Central Government.

The objections and suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Marketing), Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi – 110 107 or sent by email at : [ism.png@nic.in](mailto:ism.png@nic.in).

### Draft rules

1. These rules may be called the Petroleum (Amendment) Rules, 2018.
2. In the Petroleum Rules, 2002,-
  - (1) in Second Schedule, in Form VIII,-
    - (a) in Part A,-
      - (i) in serial number 4, for the word "place" the word "places" shall be substituted;

- (ii) in serial number 5, for the word "installation" the word "installations" shall be substituted;
- (iii) in serial number 5, for the words "In case of service station" the words " In case of service stations" shall be substituted;
- (iv) for serial number 6, the following shall be substituted, namely:-  
 "6. Name and full postal address of users and /or area of operation giving details of locality, taluka, district, state and of the place where the vehicle normally will be transporting petroleum Class A/B for the purpose of the site refueling of aircraft's, heavy vehicles/machineries, stationery equipment. Particulars of heavy vehicles which are proposed to be refueled by the vehicle";
- (b) in Part II,-
- (i) in serial number 4, after the words "site plan" the words"/typical layout" shall be inserted;
- (ii) in serial number 5, after the words "List" the word "/Type" shall be inserted;
- (iii) after item number 6 , the following item shall be inserted, namely:-  
 "7. Standard operating procedures for filling and decantation of refueller";
- (2) in Form IX, after Notes, in the entries under the heading "Documents required to be submitted with this application for a Licence in Forms XIV, XV, XVI or special Forms", after item number (vi) the following item shall be inserted, namely:-  
 "(vii) In case the licensed premises is to be used for parking refueller, four sets of site layout plan showing the proposed area in the premises where the refueller to be parked.";
- (3) in Form XIX,-
- (a) in serial number 1 under Description , after the words "licensed in" the words "Form XIV/" shall be inserted;
- (b) In serial number 2 under Description, after the words "and the" the word "type of" shall be inserted;
- (c) for condition 6, the following condition shall be substituted, namely:-  
 "6. The licensed vehicle shall be loaded at a storage premises licensed in special form or form XV having tank lorry loading facilities or premises licensed in form XIV. The vehicle if licensed for petroleum class B can be loaded at a specially prepared area attached to a service station licensed in

form XIV. This area shall have rigid pipeline drawn from the underground tank in service station, delivery pump and vehicle parking space and shall be segregated from facilities within service station by providing 60 cm brick wall with chain link fencing of total height 1.2 m and 1.8 m high brick wall segregating the same from protected works. The parking space and filling point shall observe at least 4.5 m clearance all round within the fencing. The size of such premises shall be minimum 10 m x 10 m Parking of the Refueller(s) shall also be permitted at specially prepared area in service station approved by the licensing authority.";

(d) for condition 12, the following condition shall be substituted, namely:-

"12. Vehicle shall observe minimum 9 metres and 6 meters clearance for Petroleum Class A and Petroleum Class B respectively from any protected works all-round during refueling the tanks of heavy vehicles/machineries and stationery equipments as the case may be. Provided that in case of refueling of tanks of aircrafts, vehicle shall observe minimum 9 metres clearance from any protected works. Unauthorized person shall not be permitted within this safety zone during refueling. No smoking board in vernacular and English shall be displayed prominently near the premises of refueling the tanks of Aircraft, heavy vehicles/ machineries and stationery equipments. No person shall smoke or carry matches, fire, lights, articles or substance capable of causing ignition of petroleum in the vicinity of refueling. Provided that:

- a. Refueller of licensed capacity up to 3000 liters for Petroleum Class B shall observe minimum of 4.5 m clearance from any protected works all-round during refueling. The area shall be cordoned of by barricading.
- b. The fill point shall observe horizontal clearance of 3m and vertical clearance of 1.2 m all-around.
- c. The vehicle shall be in drive out position while refueling.

d. The length of the sound and electrically continuous hose shall not exceed 10 M.";

(e) in condition 13(b), after the words "as the case may be" the words "The earthing arrangements shall be ensured" shall be inserted;

(f) for condition 14, the following condition shall be substituted, namely:-

“14 a. Petroleum shall be unloaded only through the pump, viz. Motoring devices mounted on the vehicle.

b. Every care shall be taken to prevent escape of petroleum into any drain / sewer or public road.

c. Petroleum shall not be filled into equipments while the said equipment is in operating conditions.

d. Site specific emergency plan shall be prepared for implementation in case of emergency and the copy of such emergency plan shall be submitted to the District Authority.

e. Standard Operating Procedure(SOP) as approved by Chief Controller of Explosives shall be strictly complied.

(g) for condition 21, the following condition shall be substituted, namely:-

“21. Any accident, fire or explosion occurring in the licensed vehicle, which is attended with loss of human life or serious injury to person or property shall be immediately reported to the nearest Magistrate or to the officer in-charge of the nearest police station having jurisdiction and by telephone/fax/ e-mail to the Chief Controller”

[F. No. P-11021/01/2018-Dist]  
ASHUTOSH JINDAL, Jt. Secy. (M)

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 204(E), dated the 13<sup>th</sup> March, 2002 and G.S.R.857(E), dated the 1st December, 2011 last amended *vide* notification number G.S.R.762(E), dated the 10<sup>th</sup> August, 2018.